साँभर साल्ट्स लिमिटेड

(एक सरकारी उपक्रम)
साँभरलेक–303604
जिला–जयपुर (राजस्थान)
CIN No. : U14220RJ1964GOI001188

Tel. No.: 01425-228249 Website: www.indiansalt.com
Fax No. 01425-228244 E-mail: sambhar@bsnl.in

क्रमांकः27–सी.एण्ड.पी/एसएसएल/2018–19/ दिनांकः–12/11/2018

विषयः– मैन लाईन पेन में कम्पनी के लिए नमक उत्पादन कार्य नोटिफाइड दर पर करने हेतु प्रार्थना पत्र :–

प्रिय महोदय,

साँभर एवं साँभर के आस–पास के गांवों के स्थानीय बेरोजगार युवाओं एवं गरीब नागरिको को कम्पनी के नमक उत्पादन क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने की प्रतिबधता को सूनिश्चित करने के लिए साँभर सॉल्ट्स लिमिटेड के मैन लाईन पैन क्षेत्र में नमक उत्पादन कार्य हेतु कुछ पैने शेष बची हुई है। अतः इच्छुक प्रार्थी कम्पनी की नोटिफाइड दर या उससे कम दर पर नमक उत्पादन कार्य करने को सहमत हो तो अपना सहमति दर पत्र संलग्नक प्रोफोर्मा 'ब' में भरकर दिनांकः20/11/2018 को दोपहर 12:00 बजे तक महाप्रबन्धक (कार्य) कार्यालय, साँभर साल्ट्स लिमिटेड, साँभर लेक की वाणिज्यक शाखा में प्रस्तुत करने का श्रम करें। प्रार्थना पत्र कम्पनी के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

प्रार्थना पत्र को कम्पनी की वेबसाइड से भी डाउनलोड करके उसे भरकर महाप्रबन्धक (कार्य), साँभर लेक स्थित कार्यालय में नियत तिथि एवं समय पर प्रस्तुत कर सकता है। समस्त जानकारी कम्पनी की वेब–साइड www.indiansalt.com पर उपलब्ध है। कम्पनी की नोटिफाईड दरें निम्न प्रकार से है :–

नमक उत्पादन क्षेत्र	पैनों की संख्या	नोटिफाइड दर
मैन लाईन पैन	उपलब्ध पैनों की संख्या के आधार पर नमक उत्पादन कार्य दिया जाएगा।	**रूपयेः 330/– प्रति मै.टन** यदि उपरोक्त नोटिफाइड दर से कम दर किसी भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कि जाती है तो शेष पैनों का आवंटन एल1 दर को मैच करके दिया जाएगा।

नोटः– नोटिफाइड दर से कम दरों की एक क्रमवार सूची बनायी जाएगी। जिसको एल1 दर से मेच करवा कर पैनों की उपलब्धता के आधार पर पैनों का आवंटन किया जाएगा।

1. प्रार्थी की वार्षिक आय 1,50,000/- या इससे कम होनी चाहिए। (आय प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें।) भविष्य में यदि आय प्रमाण पत्र असत्य पाया गया तो तुरन्त प्रभाव से कार्य-आदेश निरस्त कर दिया जाएगा।

2. पार्टी इस कार्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लागू नियमो, कानूनों तथा अधिसूचित प्रावधानों का सख्ती से पालन करेगा।

3. कार्य की अवधि कार्य-आदेश जारी करने की तारीख से 30/09/2021 (3 साल) तक होगी।

4. चाही गयी क्वालिटी का उत्पादित नमक कम्पनी द्वारा उठाया जायेगा।

5. मजदूरों, सामग्री एवं मशीनरी की व्यवस्था निविदाकर्ताओं द्वारा की जायेगी।

6. निविदाकर्ता के कार्य की प्रगति/प्रदर्शन की समय-समय पर जांच की जायेगी एवं संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात् ही आगे का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। फिर भी संतोषप्रद कार्य नहीं पाये जाने के बाद कम्पनी को कार्य-आदेश निरस्त करने का पुर्ण अधिकार होगा।

7. नमक की मात्रा (Target) निश्चित करने का अधिकार समयानुसार कम्पनी को होगा।

8. प्रार्थी अपनी क्षमतानुसार पैनों की सख्या की कार्य दर प्रस्तुत सकता है।

9. पेनों कि आवंटन संख्या का अधिकार कम्पनी को होगा।

10. प्रस्ताव की वैधता निविदा खोलने की तिथी से 90 दिनों तक होगी।

11. <u>संविदा देना</u> –

(क) सांभर साल्ट लिमिटेड के पास अधिकार सुरक्षित होगा –

(i) किसी भी निविदा को पूर्णतया तथा स्वच्छंद विवेक से पूरी मात्रा के साथ स्वीकार करना या किसी भी निविदा या पूरी निविदा को बिना कोई कारण बताए निरस्त करना।

(ii) संविदा एक या एक से अधिक निविदाकारों को एक ही मूल्य या अलग अलग मूल्यों पर देना।

(iii) सांभर साल्ट लिमिटेड जैसा भी उपयुक्त समझे, एक या एक से अधिक निविदाकारों को संविदा की अवधि के दौरान एक साथ या किसी भी समय पारस्परिक संविदाओं की प्रविष्टि कर दे।

(ख) सांभर साल्ट लिमिटेड न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए या बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने के लिए बाध्यकर नहीं है।

(ग) निविदाकार जो कि पूर्व संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने मे असफल रहे हों, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) इस निविदा के फलस्वरुप स्वीकृति के आदेश और किसी भी प्रकार के संशोधन जारी किए जाए, तत्पश्चात् इस निविदा या संशोधित प्रस्ताव या कोई भी काउंटर प्रस्ताव के प्रत्युत्तर मे निबंधन व शर्तें और अनुबंध जारी किए जाते हैं, तो वह सांभर साल्ट लिमिटेड की और से पूर्ण करार होगा और निविदा प्रलेखों के अनुबंध के अनुसार दोनो पक्षों के लिए निबंधन व शर्तें बाध्यकारी होंगी।

12. निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पेज पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है।

1 3 <u>नमक की गुणवत्ता के बारे में</u>

संविदा के अधीन कार्य के दौरान ठेकेदार को नमक की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना होगा और गुणवत्ता पर पूर्णतया ध्यान रखते हुए महाप्रबंधक (कार्य) की पूर्ण संतुष्टि के लिए कार्य करना होगा। नमक की गुणवता के आधार पर कम्पनी द्वारा भुगतान निम्नप्रकार से होगा।

a) NaCl content>96%: Company shall pay at contract rate for production of good quality (NaCl 96% and above) salt from area.

b) For lesser NaCl content (NaCl content>=91%): Company shall deduct 25% of contract rate of production of salt from area.

<u>1 - .4कंपनी के क्षतिपूर्ति के शासित कानून व अधिकार:-</u>

किसी भी व्यक्ति की लापरवाही या मजदूरों की लापरवाही के कारण से, महाप्रबंधक के माध्यम से (कार्य) प्रस्तुत की गई किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संपत्ति को पहुँची किसी भी प्रकार की क्षति की ठेकेदार कंपनी को करेगा। क्षतिपूर्ति

14.1 ठेकेदार कारखाना अधिनियम 1948, मजदूर भुगतान अधिनियम 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक नियोजन स्थाई आदेश अधिनियम 1946, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 1953, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम1923, घातक दुर्घटना अधिनियम 1935, निजी चोट 1963 अधिनियम (बीमा क्षतिपूर्ति), ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, प्रसूति हित अधिनियम 1961, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, संविदा मजदूर अधिनियम (विनियम व उन्मूलन) 1970, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, समय समय पर आवश्यकतानुरुप अनेक श्रम कानूनों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानूनों के संबंध में विशेष रुप से एतद् धीन निर्मित सांविधिक कानूनों व नियमों के सभी प्रावधानों का पालन करेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित किसी अन्य अधिनियम कानून, नियम, विनियम जो कि संविदा के जारी रहने के दौरान राज्य मे लागू हो, उनके प्रावधानों का भी पालन करेगा। ठेकेदार एतद् धीन किसी भी शर्त के उल्लंघन के कारण से शास्तियों के लिए कंपनी को क्षतिपूर्ति करेगा।

15 - <u>मध्यस्थता</u>

(क) इस संविदा के अधीन उठे किसी भी प्रकार के मतभेद विवाद की स्थिति मे या अस्तित्व से संबंधित किसी भी विवाद के उठने की स्थिति में इस संविदा के आशय व साक्ष्य के संबंध में या इससे संबंधित तथाकथित किसी भी भंग की स्थिति में इसे एक मात्र मध्यस्थ अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान सांभर साल्टस लिमिटेड या इसप्रयोजनार्थ उनके द्वारा नियुक्त कंपनी के किसी भी अधिकारी को मामला भेजा जाएगा। मध्यस्थता, मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(ख) इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ उत्सुक व्यक्ति हो और या कि वह संविदा से संबंधित मामलों को सुलझाया हो और या अपने कर्तव्यों के निर्वाह को निर्वाह के दौरान उसने मतभेद विवाद के किसी मामले को व्यक्त किया हो। मध्यस्थ का अधिनिर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम व बाध्यकर होगा।

(ग) मध्यस्थ के मर जाने, उपेक्षा करने, इस्तीफा देने या किसी भी कारण से कार्य करने में असक्षम होने या न्यायालय द्वारा इसका अधिनिर्णय अपास्त कर दिए जाने पर हिंदुस्तान/सांभर साल्टस लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के लिए यह वैध होगा कि वह निवर्तमान मध्यस्थ के स्थान पर किसी अन्य मध्यस्थ को नियुक्त कर दे।

(घ) मध्यस्थ समय समय पर सभी पक्षों की सहमति से अधिनिर्णय करने में समय बढा सकता है।

(च) मध्यस्थ के लिए आकस्मिक लागत मध्यस्थ के विवेक पर होगा। मध्यस्थता जयपुर (राजस्थान) पर आयोजित की जाएगी या ऐसे किसी स्थान पर या स्थानों पर जहां के लिए मध्यस्थ निर्णय करें।

(छ) पक्षकारों के मध्य किसी विवाद के होने की स्थिति में, ठेकेदार को इस संविदा के अंतर्गत अपनी बाध्यता को टालने के लिए रोके रखना, विलंब करने का हक नहीं होगा और इसे संविदा की शर्तों व निबंधन के अनुसार सख्ती से पूरा करना होगा।

16 – <u>क्षेत्राधिकार</u>

उपर्युक्त अनुच्छेद 15 के अधीन यह एतद्वारा सहमत है कि सभी कानूनी कार्रवाई या इससे उपजे सभी परिवाद या इस संविदा से संबंधित या इससे संबंधित कोई विषय वस्तु जो कि निर्माण या अन्यथा राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय में संस्थापित किया जाएगा।

कार्पोरेट कार्यालय, जयपुर - जयपुर

सांभर साल्टस लिमिटेड, सांभर इकाई - जयपुर

17 - <u>यदि इस आधार पर कोई अभाव रहा हो, उसे पूरा करने के लिए फोर्स मैजर व बाध्यता</u>

यदि कंपनी/ठेकेदार को इस संविदा के अधीन फोर्स मेजर से इसकी किन्ही भी बाध्यताओं को पूरा करने से रोकती है या विलंब करती है, तो कंपनी/ठेकेदार को उन परिस्थितियों को लिए अधिसूचित किया जाएगा जिनके अंतर्गत इसे रोका गया या विलंबित किया गया और कंपनी /ठेकेदार इस कार्य को करने /एतद्वारा कर सके या नियमित रूप से कर सके जैसी भी स्थिति हो जहां तक रोकने की ऐसी स्थिति हो या फोर्स मैजर से यह जारी रहे, तब तक यह कार्य नियमित रूप से न किया जा सके। रूका रहे तो ऐसी स्थिति में उसे माफी होगी। तथापि, नमक की लक्षित गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का अभाव होने पर इसकी पूर्ति कवर अप किया जाएगा।

18 - संविदा को सब लेट करना:

सफल निविदाकार कंपनी की बिना पूर्व लिखित में अनुमति लिए इस संविदा या इसके किसी भी भाग को सब लेट या सुपुर्द नहीं करेगा । सफल निविदाकार के सब लेटिंग देने या संविदा की सुपुर्दगी या इसके किसी भी भाग को बिना अनुमति लिए दिए जाने पर सांभर साल्टस लिमिटेड को इस संविदा को निरस्त करने का अधिकार होगा और सफल निविदाकार की किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान का भुगतान करना होगा जिससे सांभर साल्ट्स लिमिटेड इसे बाद में जारी रख सके । सांभर साल्टस लिमिटेड द्वारा सब लेटिंग की अनुमति दिए जाने पर, तो वह व्यक्ति या पार्टी वही होगा जिसे यह संविदा सबलेट पर दी जाएगी और उस संविदा के संतोषजनक पूरा करने की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी ।

19 - कंपनी की संपत्ति को हुई हानि या नुकसान के संबंध में निर्णय

ठेकेदार के व्यवसाय से किसी व्यक्ति की लापरवाही पूर्ण किसी कार्य से संयोग वश कंपनी की संपत्ति को हुई किसी भी प्रकार की हानि की जिम्मेदारियों के संबंध में निर्णय महाप्रबंधक (कार्य) के पास होगा ओर प्रबंध निदेशक के पास किसी भी प्रकार की अपील करने पर उसका निर्णय बाध्यकर तथा अंतिम होगा। अपील जिस आदेश के विरुद्ध की जाए उसके 30 दिन के भीतर दायर कर दी जाए।

20 - निरंतरता में परिवर्तन

संविदा के कार्य को पूरा करने से पूर्व सफल निविदाकार /फर्म के किसी भी भागीदार की मृत्यु या सेवानिवृति होने पर सांभर साल्ट्स लिमिटेड अपने विकल्प से ठेके को निरस्त कर सकती है ओर ऐसी स्थिति में, निविदाकार इस संविदा का अंतर्गत किन्हीं भी अधिकारों या उपायों के बिना किसी पक्षपात के सांभर साल्ट्स लिमिटेड से हुई क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा नहीं करेगा। यदि ठेकेदार प्रतिष्ठान का स्वामी है ओर स्वामी इस ठेके को पूरा करने के दौरान मर जाता है, सांभर साल्ट लिमिटेड के पास बिना क्षतिपूर्ति के संविदा को समाप्त किए जाने का विकल्प होगा ओर कंपनी ठेकेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों तथा उसकी चल या अचल संपत्ति से अपने दावे को वसूलने की हकदार होगी।

21 – सूचनाएं

एतद् द्वारा कोई भी सूचना ठेकेदार के अंतिम अवगत पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा उसे दी जाएगी। इस प्रकार की सूचना जारी करने का साक्ष्य कि विधिवत सूचित किया गया है, ठेकेदार को निर्णायक होगी।

22- **बैक का नाम व पता–**

प्रार्थी को बैक अकाउंट नम्बर एवं उसका पता सुचित करना होगा इसमें यह भी इंगीत करना होगा की खाते का प्रकार क्या है।

23- **नमक का सैम्पल :–**

नमक का एक विनिर्देशीत सैम्पल या नमुना प्रभारी (उत्पादन) / सर्किल अधिकारी / आर.एन.डी. अधिकारी द्वारा ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष लिया जाएगा। उक्त नमक के नमुने का सयुंक्त नमुना (composit sample) प्रयोगशाला में विशलेषण हेतु भेजा जाएगा तथा विशलेषण रिर्पोट की क्वालिटी के अनुसार कम्पनी द्वारा नमक उठाया जाएगा।

24. कार्य की समयावधि / बढ़ाई अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी परिस्थितियों के अधिन ठेकेदार को कार्य स्थल खाली करना होगा।

25. ठेकेदार को नमक उत्पादन से सम्बन्धित सभी कार्य करने होगे जिसमें पैनों की सफाई , चार्जिग, पैन प्लेटफार्म के पास नमक का ढेर लगाने आदि का कार्य सम्मलित है।

कृपया अपना सहमति दर पत्र भरकर प्रस्तुत करने का श्रम करें।

सधन्यवाद्

भवदीय
वास्ते साँभर साल्ट्स लिमिटेड,

वरिष्ठ प्रबन्धक(वाणिज्यक एवं लोजेस्टिक)

Annexure- “अ”

निविदाकर्ता (Bidder) द्वारा शपथपत्र

सेवा में,

महाप्रबन्धक (कार्य),
साँभर साल्ट्स लिमिटेड,
साँभर लेक।

मैं यह घोषणा करता हूॅं कि मेरे द्वारा, साँभर साल्ट्स लिमिटेड के टैंडर डॉकयुमेंट नम्बर 27–सी.एण्ड पी./एसएसएल/2018–19 दिनांकः........................ की सारी शर्तो का पठन भलीभांति कर समझ लिया गया है तथा मैं उन शर्तो से पुरी तरह सहमत हूॅं।

मै टेंडर डॉकयुमेंट में दी गयी शर्तो के अनुसार कार्य करने की सहमति प्रदान करता हूॅं।

सधन्यवाद्

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय सील

दिनांकः
स्थानः

‘ब’

दिनांकः–

प्रार्थी का नामः–__________________________________

पताः–____
____

मोबाईल नं.ः–_____________________________________

–: निविदा दर प्रोर्फोमा :–

विषयः– मैन लाईन पेन में कम्पनी के लिए नमक उत्पादन कार्य नोटिफाइड दर पर करने हेतु प्रार्थना पत्र :–

Rate in Rupees per M. Ton

नमक उत्पादन क्षेत्र	**चाही पैनों की संख्या**	**नोटिफाइड दर या उससे कम सहमती दर**
मैन लाईन पेन		

1. उपरोक्त कार्य के नियम और शर्ते कम्पनी की निविदानुसार निविदा वर्ष 2018–19 के प्रचलन के अनुसार मान्य होगी।
2. उपरोक्त निविदा दरें ठेके की कार्य अवधि तक अन्तिम रहेगी।

ठेकेदार के हस्ताक्षर मय सील

मोबाईल नं.ः–